भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 954

उत्तर देने की तारीख 19 सितंबर, 2020

28 भाद्रपद, 1942 (शक)

स्टेडियमों का निर्माण

954. श्री सतीश चंद्र दुबे :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अब तक निर्मित नए स्टेडियमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : खेल राज्य का विषय होने के कारण देश में राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है । केंद्रीय सरकार उनके प्रयासों की पूर्ति करती है । मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान किसी नए स्टेडियम को संस्वीकृत नहीं किया है/ निर्माण नहीं किया है । तथापि, "जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में वृद्धि" के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत हीरानगर टॉउन, कठुआ जिला, जम्मू और कश्मीर में 58.23 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से श्री अरूण जेटली अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नामक एक परियोजना के लिए सितंबर, 2020 में युवा सेवाएं और खेल विभाग, जम्मू और कश्मीर को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

****